



## प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

### प्रलिस के लयः

सामाजक-आर्थक जातजनगणना (SECC) 2011, राष्ऱीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA) पोर्टल, आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

### मेन्स के लयः

सरकारी नीतयों और हसतक्षेप, केंद्रीय क्षेत्तर की योजनाएँ, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एनएफएसए (NFSA) एकीकरण के इच्छति लाभ

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि **राष्ऱीय स्वास्थ्य प्राधकरण (NHA)** **राष्ऱीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA)** पोर्टल के साथ **सामाजक-आर्थक जातजनगणना (एसईसीसी) 2011** के लाभार्थियों के डेटाबेस को एकीकृत करने के लयि कार्य कर रहा है ।

- यह परकिल्पना की गई है कलिभार्थी अपने राशन कार्ड नंबर का उपयोग करके **आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)** के तहत अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

### राष्ऱीय स्वास्थ्य प्राधकरण (NHA):

- राष्ऱीय स्वास्थ्य प्राधकरण (NHA)** को राज्य सरकारों के साथ गठबंधन में पीएम-जेएवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लयि सोसायटी पंजीकरण अधनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठति कयि गया है ।
  - अन्य बातों के साथ इसमें AB PM-JAY नीतयों का नरिमाण, परिचालन दशिन-नरिदेशों का वकिस, कार्यान्वयन तंत्र, राज्य सरकारों के साथ समन्वय, AB PM-JAY की नगरिनी और नरिंतरण शामिल होंगे ।
- राज्यों में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency- SHA) आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के कार्यान्वयन हेतु ज़मिमेदार राज्य सरकार का शीर्ष नकिय है ।

### प्रस्ताव के इच्छति लाभ:

- उचति मूल्य की दुकानों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोडना:** प्रस्ताव पात्र लाभार्थियों को योजना और योजना से संबंधति जानकारी प्रदान करने हेतु उचति मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों का उपयोग करने की अनुमतदिगा ।
- सर्वसि पॉइंट वकिसति करना:** यह कार्ड बनाने के लयि मौजूदा कॉमन सर्वसि सेंटर के साथ-साथ लाभार्थियों को अतरकित्त सर्वसि सेंटर्स को वकिसति करने का अवसर प्रदान करेगा ।
  - इससे लाभार्थी की पहचान प्रक्रयि अधिक सुवधिजनक हो जाएगी ।
- कॉमन आइडेंटिटी एनेबलर:** अधिकांश सरकारी डेटाबेस में आधार को एक समान पहचान के रूप में प्रयोग करने के कारण एकीकरण करना आसान होगा ।
  - इसके अलावा आधार ई-केवाईसी (e-KYC) के माध्यम से लाभार्थी की पहचान को भी सुनश्चिति करता है ।
  - ई-केवाईसी लक्षति तरीके से सेवाओं की कागज़ रहति पहुँच को सुनश्चिति बनाता है ।
- क्रॉस-प्लेटफॉर्म एकीकरण:** NHA लाभार्थी जागरूकता अभयान, लाभार्थी डेटाबेस (एसईसीसी 2011) संवर्द्धन आदि सहति योजना कार्यान्वयन के वभिनिन पहलुओं को मज़बूत करने के लयि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले वभिनिन मंत्रालयों के साथ सहयोग करेगा ।
- सार्वभौमक स्वास्थ्य कवरेज की ओर:** AB PM-JAY कार्यक्रम की वशिल महत्त्वाकांक्षा भारत को अपने सार्वभौमक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लक्ष्यों को पूरा करने के लयि आवश्यक प्रणालीगत सुधार को आगे बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करती है ।

### AB PM-JAY के प्रावधान:

- यह माध्यमिक देखभाल (जिसमें सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है) हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है।
- AB PM-JAY के तहत लाभार्थियों को सेवा के बटु पर कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुँच प्रदान की जाती है।
- स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत तथा नदिन शामिल है।
  - पैकेज दरें (दरें जिनमें सब कुछ शामिल है ताकि प्रत्येक उत्पाद या सेवा के लिये अलग से शुल्क न लिया जाए)।
  - ये दरें लचीली होती हैं, लेकिन अस्पतालों द्वारा एक बार तय होने के बाद लाभार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते।
  - इस योजना में चिकित्सा प्रबंधन के लिये एक दैनिक सीमा भी निर्धारित की गई है।
- यह एक पात्रता-आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।

## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएँ:

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य एक गरमिपूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- **कवरेज:** लक्षित [सार्वजनिक वितरण प्रणाली \(TPDS\)](#) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
  - [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम](#) (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - प्रतिमिह प्रति वयस्क 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो है।
  - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान करना।
  - 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
  - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
  - ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत नविवरण तंत्र स्थापित करना।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-jan-arogya-yojana-nfsa-integration>

